राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
16 / 2022	09.11.2022	20.11.2024

उनवान

1. कजोडीमल पुत्र नानकराम उम्र 87 वर्ष जाति माली निवासी जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

वादी।

बनाम

1. केसर देवी पत्नि राजेन्द्र जाति जाट।
2. प्रेम देवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट।
3. लाडा देवी पत्नि रामनिवास जाति जाट।
   निवासियान अगरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
4. जगदीश पुत्र श्योराम
5. नानूराम पुत्र बोदूराम
6. पन्नाराम पुत्र बोदूराम
7. फूला देवी पत्नि लालराम
8. लादूराम पुत्र लालाराम
9. श्रवण पुत्र श्योराम
10. सोहन पुत्र श्योराम
11. हनुमान पुत्र भैरू
    जाति समस्त जाट निवासी अगरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
12. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण।

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट0 1955।

–::निर्णय::–

दिनांक :– 20.11.2024

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं 1 लगायत 11 की सामलाती कब्जे व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं 2001/0.379 ,2002/5.3994, 2003/0.0632 कुल किता 3 ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें जमाबंदी संवत 2005 से 2058 में खातेदारी दानाराम पुत्र नंदा, ग्यारसी देवी पत्नि नंदा हिस्सा 1/10 लादूराम पुत्र लाला, फूला देवी पत्नि लाला हिस्सा 1/10, पन्ना पुत्र बोदू, नानू पुत्र बोदू हिस्सा 1/5, श्रवण, जगदीश, सोहन पुत्र श्योराम हिस्सा 1/10 व ओमप्रकाश पुत्र हीरा हिस्सा 1/2 दर्ज थी। तथा उक्त व्यक्ति उस समय उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार उक्त आराजी खातेदार फूलादेवी पत्नि लाला ने अपना 1/20 हिस्सा, पन्ना पुत्र बोदू ने अपना 1/10 हिस्सा व श्रवण, जगदीश, सोहन पुत्र श्योराम ने अपना 1/10 हिस्सा मय चाह के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय नानची देवी पत्नि हनुमान व लालीदेवी पत्नि रामेश्वर जाट निवासी जाखडो की ढाणी तिबारिया तहसील फुलेरा को बेचान कर दी तथा खातेदार दानाराम पुत्र नन्दा, ग्यारसीदेवी पत्नि नंदा ने अपना 1/10 हिस्सा हनुमान पुत्र भैरू जाट निवासी अगरपुरा को बेचान कर दी तथा लादू पुत्र लाला ने अपना 1/20 हिस्सा जरिये

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नानचीदेवी पत्नि हनुमान जाट निवासी जाखडो की ढाणी तिबारिया तहसील फुलेरा को बेचान कर दी। इस प्रकार जमाबंदी संवत 2055 से 2058 में दर्ज खातेदार दानाराम पुत्र नन्दा, ग्यारसीदेवी पत्नि नन्दा, फूलादेवी पत्नि लाला, पन्ना पुत्र बोदू, श्रवण, जगदीश, सोहन पुत्र श्योराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विवादित आराजी में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया गया था एवं उनका आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा था तथा विवादित आराजी के खातेदार हनुमान पुत्र भैरू हिस्सा 1/10, नानची देवी पत्नि हनुमान, लालीदेवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1/4 हिस्सा, नानची देवी पत्नि हनुमान हिस्सा 1/20 हिस्सा, नानू पुत्र बोदू हिस्सा 1/10 व ओमप्रकाश पुत्र हीरा हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज रहे था नानू पुत्र बोदू ने अपना 1/10 हिस्सा, कानी देवी पत्नि श्योराम को बेचान कर देने से उक्त हिस्सा कानीदेवी के नाम दर्ज हो गया।

2. इस प्रकार विवादित आराजी में जो हिस्सा नानची देवी पत्नि हनुमान जाट, लालीदेवी पत्नि रामेश्वर जाट निवासी जाखडो की ढाणी तिबारिया तहसील फुलेरा व हनुमान पुत्र भैरू जाट निवासी अगरपुरा तथा कानीदेवी पत्नि श्योराम जाट निवासी डेहरा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा मय चाह के वादी को भिन्न भिन्न विक्रय पत्र में कमशः दिनांक 14.11.2006, 05.12.2006 व 23.02.2012 के बेचान कर दिया एवं कब्जा संभला दिया इस प्रकार वादी विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं अपने 1/2 हिस्से पर मय चाह की आराजी के वादी काबिज काश्त है एवं आराजी का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। विवादित आराजी में ओमप्रकाश पुत्र हीरा का जो 1/2 हिस्सा था उसके द्वारा अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं01ल03 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करने खातेदारी 1/2 हिस्सा की प्रतिवादी सं०1 ल 03 के नाम दर्ज हुई। विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी है एवं 1/2 हिस्से खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं०1 लगायत 3 है। आराजी खसरा नंबर 2002 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा में कोई चाह नया अथवा पुराना बना हुआ नहीं है बल्कि आराजी खसरा नंबर 2001, 2002, 2003 का एक ही जाव बना हुआ था एवं जब आराजी तत्कालिन खातेदार द्वारा बेचान की गई ते आराजी मय चाह के बेचान की गई थी तया वादी ने उक्त आराजी मय चाह के खरीद की थी। जिसका विवरण भी वादी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्रो में दिया गया है। विवादित आराजी में प्रतिवादी सं04 लगायत 11 का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा था ना ही उनका वर्तमान में कोई कब्जा काश्त है परन्तु बेचान पत्रो में कुऐ के खसरा नंबरो का सहवन से अंकन नहीं होने से खसरा नंबर 2001 व 2003 थे। खतोदारी पुनः प्रतिवादी सं04 लगायत 11 के नाम दर्ज हो गई जबकि जो बेचान पत्र वादी के पक्ष में पंजीबद्ध किये गये है उनमें आराजी मय चाह के बेचान की गई है। विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर वादी 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी सं०1 ल 3 काबिज काश्त है एवं आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा वादी व प्रतिवादी सं01 लगायत 3 ने आपसी सहमति से भूमि का विभाजन भी कर रखा है परन्तु आराजी खसरा नंबर 2001 व 2003 में 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज नहीं होकर खातेदारी प्रतिवादी सं04ल011 के नाम से गलत रूप से दर्ज है जबकि प्रतिवादी सं04 लगायत 11 का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है ना ही उनका कोई किसी प्रकार से कब्जा काश्त है वादी द्वारा आराजी खसरा नंबर 2001 वे 2003 में अपना 1/2 हिस्सा दर्ज कराये जाने हेतु कई बार पटवार हल्का व तहसीलदार महोदय को समय समय पर निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा हाल ही में दिनांक 21.10.2022 को इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दिये जाने पर यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है तथा वादी व प्रतिवादी सं01ल03 के मध्य विवादग्रस्त आराजी का विधिक रूप से विभाजन नहीं होने के कारण से वाद विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

3. वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं01ल 03 के द्वारा वादग्रस्त आराजी का विधिक रूप से विभाजन नहीं करवाये जाने के कारण तथा तहसीलदार व पटवार हल्का द्वारा आराजी खसरा नंबर 2001 व 2003 में वादी का 1/2 हिस्से के सम्बन्ध में दिनांक 21.10.2022 सक्षम न्यायालय से आदेश लाने की कहने से बमुकाम अगरपुरा तहसील

जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है व श्रीमान् को वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अंत में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैं :–

क– यह कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं04 लगायत 11 डिकी फरमाया जाकर आराजी खसरा नंबर 2001 व 2003 वाकै ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में वादी को प्रतिवादी सं04 लगायत 11 के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं04 लगायत 11 का नाम हजफ किया जावे।

ख– वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं01ल03 बाबत विभाजन का डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2001, 2002, 2003 वाकै ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर का मौके के कब्जे काश्त अनुसार वादी व प्रतिवादी सं01ल03 में विभाजन किया जाकर प्राथमिक डिकी पारित फरमायी जाकर नक्शे कुर्रजात मंगवाये जाकर अंतिम डिकी पारित फरमायी जावे।

ग–वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिकी फरमायी जाकर प्रतिवादी सं०1ल011 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात मद नंबर 1 में वर्णित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत व व्यवधान व बाधा उत्पन्न नहीं करे।

यह कि डिकी की अनुपालना में तहसीलदार जोबनेर को लिखा जाकर अमल दरामद करवाया जावे व खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे व अन्य सहायता जो न्यायहित में वादी के पक्ष में हो दिलवायी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा उनके विरूद्ध दिनांक 22.03.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।
वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् वकील वादी की बहस सुनी जाकर दिनांक 09.11.2022 को वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को विवादित आराजी के मौके पर नियमानुसार कुर्रेजात कायम कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेश दिए गए। तहसीलदार जोबनेर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2024/3860 दिनांक 22.10.2024 के द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाई गई। जो शामिल पत्रावली की जाकर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने वाद को मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किए जाने का निवेदन किया। हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर किसीभी पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई हैं। इसलिए वादी का वाद मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट फाईनल डिक्री किया जाना कानूनसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।
अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट दिनांक 27.09.2024 को अनुमोदित किया जाकर उसके अनुसार वाद फाईनल डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा (हैक0)	वि0वि0
1.	केसर देवी पत्नि राजेन्द्र , प्रेमदेवी पत्नि भंवरलाल, लाडा देवी पत्नि रामनिवास, हिस्सा 1/2 समस्त जाति जाट सा. देह, कजोडीमल पुत्र नानगराम हिस्सा 1/2 जाति माली सा. जोबनेर	अ/2002	0.0457	चाही–।
		कुल किता-01	रकबा 0.0457	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

2.	कजोडीमल पुत्र नानगराम हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. जोबनेर	स/2002 2001	2.6895 0.0379	चाही– I 2.2178 जाव– I 0.4717 गै.मु. चाह
		कुल किता 2	2.7274	
3	केसर देवी पत्नि राजेन्द्र हिस्सा 1/3, प्रेमदेवी पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/3, लाडा देवी पत्नि रामनिवास हिस्सा 1/3, राहिन हिस्सा 1/3 एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा विद्याधर नगर जयपुर।	ब/2002 2003	2.6642 0.0632	जाव– I 1.0203 बारानी I 1.6439 गै.मु. चाह
		कुल किता 2	2.7274	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
16/2022	09.11.2022	20.11.2024

उनवान

1. कजोडीमल पुत्र नानकराम उम्र 87 वर्ष जाति माली नि. जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
वादी।

बनाम

1. केसर देवी पत्नि राजेन्द्र जाति जाट।
2. प्रेम देवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट।
3. लाडा देवी पत्नि रामनिवास जाति जाट।
निवासियान अगरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
4. जगदीश पुत्र श्योराम
5. नानूराम पुत्र बोदूराम
6. पन्नाराम पुत्र बोदूराम
7. फूला देवी पत्नि लालराम
8. लादूराम पुत्र लालाराम
9. श्रवण पुत्र श्योराम
10. सोहन पुत्र श्योराम
11. हनुमान पुत्र भैरू
जाति समस्त जाट निवासी अगरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
12. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण।

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट0 1955।

पर्चा डिक्री

दिनांकः–20.11.2024

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्रसं	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा(हैक0)	वि0वि0
1.	केसर देवी पत्नि राजेन्द्र,प्रेमदेवी पत्नि भंवरलाल, लाडा देवी पत्नि रामनिवास, हिस्सा 1/2 समस्त जाति जाट सा. देह, कजोडीमल पुत्र नानगराम हिस्सा 1/2 जाति माली सा. जोबनेर	अ/2002	0.0457	चाही– ।
		कुल किता-01	रकबा 0.0457	
2.	कजोडीमल पुत्र नानगराम हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. जोबनेर	स/2002 2001	2.6895 0.0379	चाही– । 2.2178 जाव– । 0.4717 गै.मु. चाह
		कुल किता 2	2.7274	
3	केसर देवी पत्नि राजेन्द्र हिस्सा 1/3, प्रेमदेवी पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/3, लाडा देवी पत्नि रामनिवास हिस्सा 1/3, राहिन हिस्सा 1/3 एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा विद्याधर नगर जयपुर।	ब/2002 2003	2.6642 0.0632	जाव– । 1.0203 बारानी । 1. 6439 गै.मु. चाह
		कुल किता 2	2.7274	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

20/11/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)